


कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक:-शिविरा/साप्रस/21893/12/78 दिनांक 29.09.78 के अन्तर्गत निम्नांकित व्याख्याताओं को उनके स्वयं के खर्च पर वर्ष 2017-18 में एम.एड. करने की अनुमति निम्न शर्तों पर दी जाती है :-

- 1 इनके सेवा विवरण में किसी प्रकार की त्रुटि पाई गई तो बिना किसी पूर्व सूचना के अनुमति निरस्त की जा सकती है ।
- 2 इस अनुमति से किसी प्रकार की राजकीय कार्य में बाधा आने पर अनुमति निरस्त की जा सकती है ।
- 3 यह अनुमति सार्वजनिक परीक्षा हेतु वर्ष 2017-18 के लिए विद्यालय जिसमें अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं, के लिए निर्धारित कोटे के अन्तर्गत आने पर ही मान्य होगी ।
- 4 विद्यालय द्वारा प्रदत्त डिग्री को राज्य सरकार/शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता न होने पर इस कार्यालय का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा ।
- 5 एम.एड. हेतु अध्ययन अवकाश देय नहीं होगा ।


क्र०स०	नाम व्याख्याता मय पदस्थापन स्थान	परीक्षा	सत्र	विशेष विवरण
1	राजेन्द्र सिंह, राउमावि सोनासर, झुंझुनू	एम.एड.	2017-18	—


(नथमल डिडेल)

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक- शिविरा-मा/संस्था/सी-6/राज0विज्ञान/एमएडस्वीकृति/2011 दिनांक: 27/7/17
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

- 1 उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, चूरु
- 2 जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) झुंझुनू
- 3 प्रधानाचार्य राउमावि सोनासर, झुंझुनू
- 4 सम्बन्धित कार्मिक, श्री राजेन्द्र सिंह व्या.राज.विज्ञान राउमावि सोनासर झुंझुनू
- 5 निजी/रक्षित पत्रावली ।
- 6 सिस्टम मैनेजर


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर